बिहार सरकार

<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

<u>अधिसूचना</u>

पटना–15, दिनांक 01.10.24

संख्या–7/स्था0–04–01/2017सा0प्र0..12763.../भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना से परामर्श से बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा), नियमावली, 2019 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2024

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–(1)** यह नियमावली बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2024 कहलाएगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के बाद तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. **बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–2(च) का अंतःस्थापन–** उक्त नियमावली के नियम–2(ङ) के पश्चात् नियम–2(च) निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जाएगाः–

   2(च) ''स्थायी समिति'' से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय नियमावली के अध्याय 1 (भाग I) के नियम 1 के अधीन गठित समिति।

3. **बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–34 के ऊपर ''प्रकीर्ण'' शीर्षक के अंतर्गत नियम–33(क) एवं 33(ख) का अंतःस्थापनः–**उक्त नियमावली के नियम–34 के ऊपर ''प्रकीर्ण'' शीर्षक के अंतर्गत नियम–33(क) एवं 33(ख) निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जायेगाः–

''प्रकीर्ण''

33(क) यदि इस नियमावली के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो इस संबंध में स्थायी समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

33(ख) 'अवशिष्ट शक्तियाँः–इस नियमावली की कोई भी बात, समय–समय पर ऐसे आदेश या आदेशों को देने की स्थायी समिति की शक्तियों को प्रभावित करने वाली नहीं मानी जायेगी, जो इस नियमावली के आनुषांगिक या प्रासंगिक सभी मामलों में उचित समझी जाय और जो इसमें विनिर्दिष्टतः उपबंधित नहीं हो या उन विषयों के संबंध में जिनका पर्याप्त रूप से उपबंध नहीं किया हो'।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(गुफ़रान अहमद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–01/2017सा0प्र0 12763/पटना–15, दिनांक 01.10.24

प्रतिलिपिः–ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–01/2017सा0प्र0 12763/पटना–15, दिनांक 01.10.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–19 दिनांक 01.10.2024 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Government Of Bihar
General Administration Department
Notification

Patna, Dated...01.10.24.....

No-7/Astha-04-01/2017GAD....12763......../In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019:-

The Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination), (Amendment) Rules, 2024

1. **Short title, extent and commencement.-(1)** These Rules may be called the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) (Amendment) Rules, 2024.

    (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

    (3) It shall come into force with immediate effect after publication in official gazette.

2. **The insertion of Rule-2(f) of Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019 (as amended from time to time).-** After Rule-2(e) of the said Rules, Rule-2(f) shall be inserted as follows:-

    2(f) "The Standing Committee" means the Committee constituted under Rule 1 of chapter 1 (Part I) of the Patna High Court Rules.

3. **The insertion of Rule-33(a) and 33(b) under the heading "Miscellaneous" above the Rule-34 of Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019 (as amended from time to time).-**Above Rule-34 of the said Rules, Rule-33(a) and 33(b) under the heading "Miscellaneous" shall be inserted as follows:-

"Miscellaneous."

33(a) If any question arises as to the interpretation of these Rules, the decision of the Standing Committee in that regard shall be final.

33(b) 'Residuary Powers:- Nothing in these Rules shall be deemed to affect the powers of the Standing Committee to make such order or orders, from time to time, as it may deem fit in regard to all the matters incidental or ancillary to these Rules and not specifically provided for herein or in regard to matters as have not been sufficiently provided for'.

By the Order of Governor of Bihar

(Ghufran Ahmad)
Joint Secretary to the Government.

Memo no.-7/Astha-04-01/2017GAD....12763...../Patna-15, dated .01.10.24

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

Joint Secretary to the Government.

Memo no.-7/Astha-04-01/2017GAD....12763...../Patna-15, dated .01.10.24

Copy forwarded to the Accountant General (A & E), Bihar, Patna/ Registrar General, High Court, Patna/Additional Chief Secretary, Cabinet Secretariat with reference to Cabinet item no.-19 dated 01.10.2024/Secretary, B.P.S.C., Patna/Secretary, Law Department, Bihar /All Principal District & Sessions Judge/All Departments/All Head of Departments and I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

Joint Secretary to the Government.